

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7वीं मंजिल, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स

लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

दिनांक : 24-01-2023

कार्यालय आदेश

24 JAN 2023

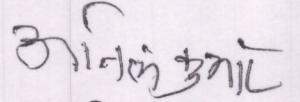
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/3/2008-स्था(घ) के तहत जारी दिशा-निदेशों तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 17.01.2023 के पत्र संख्या 14034/18/2022-राभा (प्रशि) के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में तैनात श्री राकेश कुमार वर्मा, उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) (सेवानिवृत्त) को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उनके नाम के आगे दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	प्रारंभिक/नियमित नियुक्ति की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन देने पर वेतनमान	दिए जाने वाले वित्तीय अपग्रेडेशन का प्रकार
1	श्री राकेश कुमार वर्मा, उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) (सेवानिवृत्त)	23.10.1992	23.10.2022	लेबल-13 ₹1,23,100- 2,15,900	तृतीय

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और उसकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उससे कनिष्ठ अधिकारी उक्त ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के कारण उच्चतर वेतन ले रहा है।

3. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाले वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा।

4. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई हुई तो लेखा परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।



(अनिल कुमार)

प्रभारी निदेशक

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (प्रशि), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उनके दिनांक 17-01-2023 के का.आदेश सं.14034/18/2022-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
3. संयुक्त निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र, दिल्ली।
4. श्री राकेश कुमार वर्मा, उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) (सेवानिवृत्त)।
5. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
6. व्यक्तिगत मिसिल/सेवापंजी।
7. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, नई दिल्ली।